DEPARTMENT OF LIVESTOCK PRODUCTION MANAGEMENT

LUVAS, HISAR

AUCTION NOTICE

No./LPM/26/1095 Dated : 21/08/2026

24 Buffaloes, 11 heifers and 24 male calves/bulls will be auctioned on 08.09.2026 at 9:30 a.m. onwards at the Veterinary Auditorium, College of Veterinary Sciences, LUVAS, Hisar. All interested persons are requested to reach well in time to bid for these animals. The auction will be conducted on the below mentioned terms & conditions (in Hindi).

पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग

लाला लाजपतराय पशुचिकित्सा एंव पशुविज्ञान विश्वविद्यालय,

हिसार–125004 हरियाणा

पशु नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाला लाजपतराय पशुचिकित्सा एंव पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के पशु चिकित्सा विज्ञान सभागार में 24 भैंसों व 11 झोटी एवं 24 कटडों की नीलामी दिनांक **08.09.2026** को प्रातः **9:30** बजे की जाऐगी। नीलामी की सभी शर्तें बोली से पहले सुना दी जाऐंगी ।

सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि जो व्यक्ति बोली पर पशु खरीदने का इच्छुक होगा उसे सिक्योरिटी राशि के साथ आधार कार्ड की फोटोकापी भी जमा करवानी होगी जोकि अतिआवश्यक है इसके बिना किसी भी व्यक्ति को बोली परिसर में प्रवेश की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति पशुओं का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से दो दिन पहले फार्म पर कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.luvas.edu.in पर उपलब्ध है या निम्न पते पर सम्पर्ककरें :–

डॉ. देवेंदर सिंह, विभागाध्यक्ष

(एल0पी0एम0), लुवास, हिसार

दूरभाष : 01662–256113 (कार्यालय)

पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) हिसार – 125004

सूचना

पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग (लुवास), हिसार द्वारा 59 पशुओं (24 भैंस, 11 कटड़ी, 24 झोटो) की नीलामी दिनांक 08/09/2026 को सुबह 9:30 बजे से पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के सभागार में की जाएगी।

पशु/भैंसों की नीलामी की शर्तें एवं नियम

1. पशुओं को खुली नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा।

2. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता अपने आधार कार्ड की प्रति व 20,000/- रुपए प्रति पशु की अग्रिम जमा राशि नगद जमा करवाकर हिस्सा ले सकेंगे। जिसने अग्रिम जमा राशि जमा करवाई है उसी व्यक्ति को नीलामी स्थल में प्रवेश करने की अनुमति होगी। प्रत्येक बोलीदाता को अग्रिम जमा राशि की रसीद एवं आधार कार्ड साथ रखना अनिवार्य है।

3. पशु को सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को पशु नीलामी समिति की मंजूरी के उपरांत ही बेचा जाएगा।

4. एक अग्रिम जमा राशि पर एक ही पशु छुड़वाया जा सकता है। यदि बोलीदाता अधिक पशु लेने का इच्छुक हो तो 20,000/- प्रति अतिरिक्त पशु अग्रिम जमा राशि और जमा करवानी होगी।

5. दिनांक 08/09/2026 को सुबह 9:30 बजे पश्चात होने वाली नीलामी के पशुओं को भैंस फार्म (लुवास) में दिनांक 05 एवं 07 सितंबर 2026 को सुबह 9:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक देखा जा सकता है।

6. पशुओं की नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता दो दिन पहले अर्थात दिनांक 05 एवं 07 सितंबर 2026 को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक नगद अग्रिम जमा राशि जमा करवा सकते हैं।

7. बोलीदाता जिन्होंने नगद अग्रिम जमा राशि बोली तिथि से पहले जमा करवाई है वो रसीद/पर्ची व अपना आधार कार्ड की प्रति दिखाकर दिनांक 08/09/2026 को सुबह 9:30 बजे नीलामी स्थल में प्रवेश कर पशु नीलामी में भाग ले सकते हैं।

8. यदि बोलीदाता के नाम से कोई पशु छूटता है तो बोली दी गई कीमत को नीलामी के पश्चात दो कार्य दिवस के अंदर विभाग के कार्यालय में नगद जमा करवाये। नीलामी में खरीदा पशु पहचान सत्यापन के पश्चात उसी बोलीदाता को दिया जाएगा जिसने उसे बोली में खरीदा है।

9. यदि बोलीदाता के नाम से कोई पशु नहीं छूटता है तो बोलीदाता द्वारा नगद जमा अग्रिम जमा राशि पहचान सत्यापन के पश्चात उसी दिन बोली समाप्त होने के पश्चात या अगले दिन नगद वापस कर दी जाएगी।

10. यदि पशु बोली से दो कार्य दिवस के अंदर नहीं ले जाया जाएगा तो 300/- रुपए प्रति दिन प्रति पशु अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा जो अधिकतम बोली तिथि के अगले दस दिन तक मान्य होगा।

11. यदि बोली के अगले दस दिन के अंदर बोलीदाता पशु ले जाने में असमर्थ रहता है तो बोली रद्द समझी जाएगी व जमा की गई अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

12. नीलामी में पशु छुड़वाने पर पूरी राशि जमा करवाने के उपरांत पशु को बाहर ले जाने के लिए संबंधित अधिकारी से गेट पास लेना होगा। गेट पास पर वाहन नंबर तथा पशु का टैग नंबर अंकित रसीद दिखाने के बाद ही पशु बाहर ले जाने दिया जाएगा।

13. ताजा ब्याही भैंस के साथ उसका नवजात कटड़ा/कटड़ी उसी स्थिति में दिया जाएगा जब वह नीलामी सूची में दिखाया गया होगा एवं नवजात की कीमत भैंस के अतिरिक्त होगी जो कि खाता मूल्य/बुक वैल्यू के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

14. बोलीदाता प्रत्येक बड़े पशु की बोली पर कम से कम 1000/- रुपए और छोटे कटड़े/कटड़ियों की बोली पर कम से कम 500/- रुपए बढ़ाएंगे।

15. पशु जहां है जैसा है के आधार पर बोली की जाएगी कोई फेर बदल मान्य नहीं होगा।

16. इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी से पहले पशुओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधित रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। पशु की नीलामी के बाद किसी भी बीमारी या विकार या अन्य विसंगतियों के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। नीलामी सूची में दिया गया कारण सांकेतिक है ना कि समावेशी।

17. नीलामी समय से नीलामी सूची के पशुओं को होने वाली किसी भी हानि/चोट/मृत्यु के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

18. नीलामी सूची में पशुओं की संख्या घट बढ़ सकती है।

19. किसी भी विवाद की स्थिति में पशु नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

20. नीलामी समिति बिना किसी स्पष्टीकरण के किसी भी बोली को रद्द कर सकती है।

21. किसी भी पशु को अंतिम बोली पर छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार पशु नीलामी समिति का होगा।

22. पशु नीलामी समिति द्वारा पशु की नीलामी छोड़ने के बाद किसी भी बोली को स्वीकार अथवा रद्द करने तथा किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने का अधिकार पशु नीलामी समिति के पास सुरक्षित है जो सर्वमान्य होगा।

23. नीलामी के दौरान किसी भी प्रकार की शर्तों में परिवर्तन अथवा स्पष्टीकरण करने का विशेषाधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।

24. पशु को गाड़ी में लोड करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

25. बोली में पशु छुड़वाने व बोली की पूरी कीमत जमा करवाने के बाद पशु को गाड़ी में लोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

26. हरियाणा राज्य क्षेत्र से पशु/पशुओं के परिवहन के लिए परमिट प्राप्त करना सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी है।

27. किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए हिसार न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।

विभागाध्यक्ष
पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग
(लुवास) हिसार - 125004
दूरभाष : 01662-256113 (कार्यालय)